बीसीसीःबीआरः107/101 28 फरवरी, 2015

<u>भारत की सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र</u>

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, मुंबई
<u>द्वारा जारी</u>

प्रिय महादेय/महोदया,

विषयः स्टाफ सदस्यों के लिए (दुपहिया) वाहन ऋण की योजना में संशोधन - दुपहिया ऋण के लिए अवार्ड स्टाफ सदस्यों की पात्रता मानदंडों में संशोधन.

कृपया दुपहिया वाहन खरीदने हेतु स्टाफ सदस्यों के लिए वाहन ऋण के बारे में जारी परिपत्रांक बीसीसीःबीआरः97/103 दिनांक 20.04.2005 तथा परिपत्रांक बीसीसीःबीआरः102/38 दिनांक 04.02.2010 का संदर्भ ग्रहण करें.
उपर्युक्त योजना की शर्तों के अनुसार, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए दुपहिया ऋण प्रदान करने की निम्नलिखित दो अलग श्रेणियां हैं:

क. जिन्होंने 18.09.1989 के पूर्व बैंक की सेवा ग्रहण की है. (ब्याज रहित)

ख. जिन्होंने 18.09.1989 को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा ग्रहण की है. (ब्याज लागू)

वे अवार्ड स्टाफ जिन्होंने 18.09.1989 को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा ग्रहण की है, उन्हें दुपहिया वाहन ऋण प्रदान करने की उपरोक्त योजना की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :-

	लिपिक/अधीनस्थ स्टाफ
पात्रता	(VIII द्विपक्षीय समझौते के अनुसार) रु. 5850/- प्रति माह का मूल वेतन प्राप्त करने वाले अवार्ड स्टाफ सदस्य.
सीमा	नियंत्रण मूल्य का 90% अथवा रु. 90,000/-, इनमें से जो भी कम हो.
ब्याज दर	8.5% प्रति वर्ष (साधारण)
वसूली	मूलधनः 70 महीने ब्याजः 14 महीने

उपरोक्त योजना की पात्रतानुसार, (आठवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार) स्टाफ सदस्य का मूल वेतन रु. 5850/- प्रति माह से अधिक होना चाहिए. यह मूल वेतन 9 वें द्विपक्षीय समझौता के अनुसार लिपिक संवर्ग के लिए रु. 9900/- प्रति माह तथा अधीनस्थ स्टाफ के लिए रु. 8800/- प्रति माह के समरूप है जिसे लिपिक संवर्ग द्वारा 6 वर्षों बाद तथा अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों द्वारा 12 वर्षों बाद सामान्यतः प्राप्त कर लिया जाता है.

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लिपिकीय एवं अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों की बढ़ी हुई चुकौती क्षमता के साथ-साथ आवागमन के उद्देश्य से सेवा के आरंभिक वर्षों में दुपहिया वाहन खरीदने की उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने मूल वेतन के मानदंड को समाप्त करने तथा (18.09.1989 को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले) सभी स्थायी लिपिकीय एवं अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है.

संशोधित पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

	मौजूदा प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
लिपिक/अधीनस्थ स्टाफ (जिन्होंने 1989 में अथवा उसके बाद बैंक की सेवा ग्रहण की है)	लिपिक/अधीनस्थ स्टाफ सदस्य जिनका (आठवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार) मूल वेतन रु. 5850/- प्रति माह से अधिक है.	स्थायी लिपिक/अधीनस्थ स्टाफ सदस्य

स्टाफ सदस्यों को वाहन ऋण प्रदान करने की योजना के संबंध में जारी परिपत्रांक बीसीसीःबीआरः97/103 दिनांक 20.04.2005 तथा परिपत्रांक बीसीसीःबीआरः102/38 दिनांक 04.02.2010 के माध्यम से परिचालित सभी अन्य मौजूदा नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपनी शाखा/कार्यालय के स्टाफ सदस्यों से अवगत कराएं तथा इस परिपत्र की प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें.

भवदीया,

ह./-

(विन्धया रमेश)
महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

BCC:BR:107:101 February 28, 2015

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/ OFFICES IN INDIA

ISSUED BY
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DEPTT
BARODA CORPORATE CENTRE, MUMBAI

Dear Sir/ Madam,

Re: Revision in Scheme for conveyance loan for staff members (Two Wheeler) – Modification in the eligibility criteria for Award Staff for Two Wheeler Loan

We refer to Circular No. BCC:BR:97:103 dated 20.04.2005 and Circular No. BCC/BR/102/38 dated 04.02.2010 in respect of conveyance loan to staff members for purchase of Two-wheeler.

In terms of the above scheme there are two separate categories for grant of Two Wheeler Loan to clerical and subordinate staff members as under:

A. Those who have joined the Bank's service prior to 18.09.1989 (Interest free)
B. Those who have joined the Bank's service on or after 18.09.1989 (Interest applicable)

The salient features of the above scheme for grant of Two Wheeler loan for Award staff who joined the Bank's service on or after 18.09.1989 is as under:-

	CLERK / SUB STAFF
ELIGIBILITY	Award Staff drawing Basic Pay of more than Rs. 5850/- pm (VIII BPS)
LIMIT	90% control price or Rs. 90,000/- whichever is less
RATE OF INTEREST	8.5% p.a (Simple)
RECOVERY	Principal : 70 months Interest : 14 months

The eligibility for the above Scheme is that staff should be drawing Basic Pay of more than Rs.5850/-p.m.(VIII BPS). This Basic Pay corresponds to Rs.9900/-(clerical staff) and Rs.8800/- (Sub-staff) as per 9th Bipartite Settlement, which is attained after six years for clerks and after 12 years for sub-staff in the normal course.

Keeping in view the aspiration of owning a two-wheeler in the initial years of service only for conveyance purposes, besides enhanced repaying capacity of Clerical and Subordinate staff members, we are pleased to inform that the Board of Directors have considered modification of the eligibility by removing the Basic pay criteria and extending the same to all confirmed clerical and sub-staff members (who joined Bank on or after 18.09.1989).

The revised eligibility criteria are as under:

	EXISTING PROVISION	**MODIFIED PROVISION**
CLERICAL / SUBORDINATE STAFF (who have joined the Bank on or after 1989)	Clerical / Subordinate staff drawing Basic Pay of more than Rs. 5850/- p.m (VIII BPS)	Confirmed Clerical / Subordinate staff members

All other existing terms and conditions of the Scheme for grant of conveyance loan for staff members as per Circular No. BCC/BR/97/103 dated 20.04.2005 and Circular No. BCC/BR/102/38 dated 04.02.2010 shall remain unchanged.

Please bring the contents of this circular to the notice of all employees of your branch/office and also display a copy of the same in the notice board.

Yours faithfully,

(VINDHYA RAMESH)
GENERAL MANAGER (HRM)

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5000 • फैक्स / Fax : 91 22 2652 3514 • वेब / Web : www.bankofbaroda.com